प्रार्थी सुखमन्दर सिंह पुत्र ...

ओ तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर की ओर से अधिवक्ता श्री ...
सिंह रमाणा के द्वारा कैवियट प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रार्थना पत्र मे निवेदन
किया कि चक 8 ओ के मुरब्बा नम्बर 19, 21 की भूमि के सम्बन्ध में कोई
वाद या स्थगन प्रार्थना पत्र अप्रार्थी या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा न्यायालय में
पेश किया जाता है तो सुनवाई से पूर्व प्रार्थी को सूचित किया जाकर, सुनवाई
का अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात ही कोई निर्णय पारित किया जावे।
प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थी को जरिए पंजीकृत डाक
से तलब किया जावे। इस सम्बन्ध मे कोई दावा या स्थगन प्रार्थना पत्र पेश
होने पर पत्रावली पेश हो तब तक पत्रावली नियमानुसार सुरक्षित रखी जावे ।

30.8.24 आज यह पत्रावली पेशी मे ली गई। प्रार्थी की कैवियट प्रार्थना पत्र पेश किए हुए 90 दिवस से अधिक का समय हो चुका है। अब इस पत्रावली मे कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 148(A) CPC खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णीत होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) ★ श्री करणपुर (श्री गंगानगर)